न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/42/2021	2021/177	08.10.2021	12.08.2024

1.मंगल पुत्र पून्या मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1.तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर।

——असल रेस्पोडेन्ट

2.उदलराम पुत्र पून्या,
3.मनोज पुत्र गिर्राज प्रसाद,
4.सावित्री पत्नी गिर्राज प्रसाद,
5.योगेश पुत्र भगवान सहाय,
6.जितेन्द्र पुत्र भगवान सहाय,
7.राजकुमार पुत्र भगवान सहाय,
8.मायादेवी बेवा भगवान सहाय,
9.नरेश पुत्र पांचूराम,
10.सुरेश पुत्र पांचूराम,
11.धन्नी बेवा मोतीलाल,
12.हरिराम पुत्र लटूर,
13.फूल पुत्र लाल्या,
14.सुकली बेवा लटूर,
15.पूरण पुत्र गुलाब,
16.लालीदेवी पत्नी सपरी,
17.बोदन पुत्र झम्मन,
18.विष्णु पुत्र भैरू,
19.कैलाश पुत्र सूका,
20.श्यामलाल पुत्र हट्टीराम,
21.धीरसिंह पुत्र छुटकन जाति राजपूत,
22.शिवचरण पुत्र तेजीराम जाति कीर, निवासीयान ग्राम गोविन्दगढ जिला अलवर।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर दिनांक 06.06.2018 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 1574 वाके ग्राम गोविन्दगढ बेजा तौर पर स्वीकार किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उपस्थितः–

01.श्री दिनेश यादव –वकील अपीलाण्ट

02.श्री मूलचंद चौधरी –वकील रेस्पोडेंट्स

03.राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर दिनांक 06.06.2018 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 1574 वाके ग्राम गोविन्दगढ से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि अपील आज्ञा दिनांक 06–06–2018 से अंदर मियाद पेश है। कस्बा गोविन्दगढ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 319 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा के अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पाडेन्ट व दीगर लोग भूमि के साथ खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 318 बारानी है व 319 भी बारानी अलिफ है और उक्त भूमि में कोई रास्ता दर्ज नही रहा है। खसरा नम्बर 318 व 319 के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 320 खसरा नम्बर 320 मेंआम रास्ता है और सडक बनी हुई है। इसके आलवा अन्य कोई आम रास्ता नही है। असल रेस्पाडेन्ट सं.1 नेएक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 व 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अन्य खातेदारान से व भूमाफिया व कैलाश पुत्र पृथ्वी वगैरा प्रोपर्टी डीलरों से साजबाज होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया व खसरा नम्बर 318 व 319 में से रास्ता निकालने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जबकि खसरा नम्बर 318 व 319 में पूर्व से कोई आम रास्ता विद्यमान नहीं है तथा खसरा नम्बर 318 व 319 के खातेदारो को ना तो उक्त इंतकाल दर्ज व स्वीकार करने से पूर्व नोटिस दिया और नाही कोई सूचना दी तथा मनमाने रूप से आम रास्ते की आड में खसरा नम्बर 318 व 319 में से जो रास्ता निकालने हेतु आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ द्वारा दिनांक 17–05–2018 को दिया है वह सरासर गलत व खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड हैं।

राज्य सरकार द्वारा जो परिपत्र जारी किया है उस परिपत्र में नये सिरे से रास्ता निकालने का कोई प्रावधान नही है। लेकिन उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ नेअपने निर्णय में धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का हवाला दिया है। उसमें कहीं भी रास्ता दर्ज का प्रावधान नही है। धारा 131 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में जो प्रावधान है वह सर्वे रिकार्ड, फिल्ड बुक, मैप आदि को मेन्टेन करने का है और धारा 132 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में एन्यूअल रजिस्टर मेन्टेन करने का रेवेन्यू ऑफिसर का अधिकार दे रखा है। और धारा 136 के तहत केवल लिपिक या क्लेरिकल त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार है। इन प्रावधानो में कहीं भी नये सिरे से कोई रास्ता दिये जाने का प्रावधान नही है। इस प्रकार उखण्ड अधि कारी द्वारा जो आदेश दिया गया है वह खिलाफ कानून दिया गया है। दिनांक 17–05–2018 को उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ का ट्रांसफर हो चुका था लेकिन नाजायज रूप से कुछ कतिपय लोगो को लाभ पहुँचाने की गरज से दिनांक 17–05–2018 को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

आदेश पारित किया है। जिस विधि विरूद्ध पारित किये गये आदेश के तहत विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एंव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उपरोक्त विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार करने से पूर्व अधि० न्यायालय द्वारा मौका का अवलोकन नही किया गया हैं जबकि आराजी खसरा नम्बर 319 में कोई रास्ता किसी प्रकार का ना तो कभी रहा है और नाही वर्तमान में कोई रास्ता विद्यमान है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एंव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता किसी प्रकार का नही रहा है जो कि नक्शा ट्रेस साबिक से स्पष्ट है अवलोकनार्थ सत्यप्रतिलिपि दिनांक 25–05–2018 प्रस्तुत है। परन्तु दिनांक 20–10–2016 को प्राप्त किये गये नक्शे में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्शाया गया है जबकि वास्तविक्ता में ना तो मौके परकोई रास्ता है औरनाही रिकार्ड में रास्ता रहा है तथा उक्त इंतकाल स्वीकार होने के पश्चात ही रास्ता दर्शाया गया है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एंव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

कानूनन जब किसी आराजी की बाबत कोई विवाद हो तो सभी पक्षकारान को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर इंतकाल की कार्यवाही किया जाना चाहिए था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो मिन अपीलान्ट को सूचित किया और नाही कोई नोटिस जारी किया तथा नाही सुनवाई का कोई समुचित अवसर दिया गया है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एंव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण रूपनारायण, का लगभग 3 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया तथा इसी प्रकार गिरधारी पुत्र लटूर का 5 साल पूर्व, फूलीबाई का करीब 7 साल पहले एवं मंगली बेवा रूग्गन का स्वर्गवास 8 साल पूर्व हो गया था तथा इसी प्रकार बत्तन बेवा हटटीराम भी करीब 12 साल पूर्व तथा मोतीलाल पुत्र हरबल करीब 20 साल पूर्व तथा छाजूसिंह पुत्र छोटूसिंह का भी अरसे दराज पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। उसके बावजूद भी विर्वादित इंतकाल में उनका नाम दर्ज किया गया है जबकि उनके वारिसान का नाम दर्ज नही किया गया है इसी प्रकार उपखण्ड अधि कारी लक्ष्मनगढ़ द्वारा भी मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध अपना निर्णय पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। उपरोक्त प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय नल एण्ड वॉईड करार दिये जाने जाने योग्य है। यह कि विवादित आराजी मिन अपीलान्टान के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसके रिकार्ड में कोई रास्ता कायम नही हैं। जो कि साबिक नक्शा ट्रेस के अवलोकन से अदालत श्रीमान को रोशन होगा। उक्त प्रकरण में मिन अपीलान्टान की कोई तामील किसी प्रकार की नही हुई है तथा मिन अपीलान्टान की ना तो विधिवत तामील करायी है और नाही किसी प्रकार का सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है तथा कुल कार्यवाही मिन अपीलान्टान के पीछे से बालाबाल की गई है जो कि राजनैतिक रंजिश के कारण लोगो के बहाकावे में आने एवं उनके प्रभाव में में आकर की गई हैं। विवादित आराजी मिन अपीलान्टान के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिससे किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध वो सरोकार किसी प्रकार का नहीं है और नाही मिन अपीलान्टान के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में कोई रास्ता रहा है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एंव

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से मिन अपीलान्टान के हित प्रभावित हो रहे है तथा मिन अपीलान्टान को भारी नुकसान होने का अंदेशा है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निर्णय की तारीफ में नही आता है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार साहब गोविन्दगढ़ की आज्ञा दिनांक 06–06–2018 वावत इंतकाल संख्या 1574 वाके ग्राम गोविन्दगढ निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पोडेंन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलव किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अनुवानी अपील के संदर्भ में मिन रेस्पाडेन्टान सं.12 व 17, 18, 19, 21 की ओर से एतराजात निम्न प्रकार पेश है कि अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त अपील कतई गलत तथ्यो से पेश की गई है। असल रेस्पाडेन्ट तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा आराजी मुतनाजा वाके ग्राम गोविन्दगढ की बाबत दिनांक 06–06–2018 को इंतकाल संख्या 1574 दर्ज व स्वीकार किया गया है। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ के आदेश दिनांक 17–05–2018 के इजराय में खसरा नम्बर 318 व 319 वाके ग्राम गोविन्दगढ में जो रास्ता स्थित है। उक्त इजराय सही प्रकार से की गई जिसके आधार पर इंतकाल मौके के अनुसार स्वीकार किया गया है। इजराय द्वारा किया गया आदेश की अपील नही हो सकती है। रेस्पाडेन्ट सं.1 ने जो आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 व 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया गया था वह किसी से साजबाज होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ के समक्ष प्रस्तुत नही किया व खसरा नम्बर 318 व 319 में से रास्ता हेतु भी सही प्रकार से आवेदन प्रस्तुत किया चूँकि खसरा नम्बर 318 व 319 में पूर्व से कदीमी 200 साल पुराना आम रास्ता विद्यमान है जो कि मंदिर तक जाता है तथा उक्त मंदिर करीब 200 साल पुराना है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारिज करने में हमें कोई एतराज किसी प्रकार का नही है। इसलिए अपील खारिज फरमाया जाना न्याय संगत है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि इंतकाल उपखण्ड अधिकारी के आदेश से खुला था जिसकी अपील अपर कोर्ट में चल रही है। वकील ने यह भी निवेदन किया कि अपर कोर्ट ने निर्णय को खारिज कर पुनः सुनवाई हेतु आदेश कर दिया है।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं वहस का मिलान किया गया। नामान्तरण तहसीलदार द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अनुसार जारी किया गया था। नामांतरण जारी करने में तहसीलदार द्वारा प्रक्रियागत कोई भूल नहीं की गई। जारी किया गया नामांतरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

विधिवत है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश और अपील का निरस्त होना और पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को पत्रावली प्रतिप्रेषित होना, रिकॉर्ड की आगामी प्रक्रिया न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा तय किया जायेगा। इसलिये समस्त रिकॉर्ड के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में चाराजोरी करें। इस स्तर पर कोई कार्यवाही संभव नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) अलवर (राज)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर